न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 30 / 2016 नामान्तरकरण अपील

1. मनोहर कंवर उर्फ मन्ना कंवर पुत्री भवरराम पत्नि किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी चक अभयपुरा हाल निवासी राजियासर खारा तहसील सुजानगढ जिला चुरू।
2. सुप्यार कंवर पुत्री भंवरराम पत्नि सावंतसिंह जाति राजपूत निवासी चक अभयपुरा हाल निवासी गुढावढी तहसील सुजानगढ जिला चुरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुरज्ञान सिंह
2. लक्ष्मण सिंह
3. संपतसिंह
4. सरदारसिंह
5. समंदर कंवर पुत्री भंवरराम पत्नि हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी चक अभयपुरा हाल निवासी कुमास जागीर तहसील रामगढ जिला सीकर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 24 वाकै ग्राम चक अभयपुरा
तस्दीकी दिनांक 29.3.1996 द्वारा तत्कालीन तहसीलदार लालसोट

उपस्थिति :— 1. श्री हरिनारायण माठा, अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
2. श्री कमलेश सैनी अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 व 3 उपस्थित।
3. श्री घनश्याम सैनी अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 4 व 5 उपस्थित।

—:आदेश:— दिनांक 20 .02.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 5 एक ही पिता भंवरराम पुत्र बजरंगराम की संताने है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट ने बिना वारिसान की जांच किये एवं बिना कोई वारिसान प्रमाण पत्र प्राप्त किये रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 4 के हक में नामान्तरकरण सं0 24 दिनांक 29.3.1996 तस्दीक कर दिया गया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अपील अपीलान्ट्स पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 24 में भवरराम की मृत्यु होने पर उसके पुत्रों के नाम पर ही नामान्तरकरण खोला गया जबकी मृतक के विरासत के नामान्तरकरण में मृतक की पत्नि, पुत्र, पुत्रियों के नाम होने चाहिए थे। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना वारिसान की जांच किये एवं बिना कोई वारिसान प्रमाण पत्र प्राप्त किये एवं अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना रेस्पोडेन्ट नं. 01 लगा 04 के हक में प्रश्नगत नामान्तरकरण 24 दिनांक 29.03.1996 तस्दीक कर दिया गया। जबकी अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट सं. 05 मृतक भवरराम पुत्र बजरंगराम की जायन्दा पुत्रियां है। अतः प्रश्नगत नामान्तरकरण 24 दिनांक 29.03.1996 ग्राम चक अभयपुरा तहसील लालसोट हाल रामगढ पचवारा जिला दौसा को निरस्त फरमाया जाकर मृतक भवरराम पुत्र बजरंगराम की विरासत का नामान्तरकरण वास्तविक वारिसान की जांच कर उनके उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु तहसीलदार रामगढ पचवारा को प्रकरण रिमाण्ड फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा निवेदन किया गया कि नामान्तरकण एवं फिसकल प्रोसिजर है। अधिकार रेगूलर स्यूट से ही प्राप्त किये जा सकते है। 9 सितम्बर 2005 से पूर्व पुत्रियों को विरासत में भाग लेने का कोई अधिकार नही था। यह अधिकार 9 सितम्बर 2005 के पश्चात मृत्यु होने पर ही पुत्रियों को विरासत में हिस्सा लेने का अधिकार है इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार की लार्जर बैंच ने आर बी जे 2016 पेज 01 में निर्णय द्वारा इस बिन्दु को निर्धारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण मृतक भंवरराम पुत्र बजरंगराम की मृत्यू के पश्चात् उसके वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है। अधिवक्ता

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत उद्धरण आर बी जे 2016 पेज 01 का ससम्मान अवलोकन किया गया जिसके अनुसार 9 सितम्बर 2005 के पश्चात मृत्यु होने पर ही पुत्रियों को विरासत में हिस्सा लेने का अधिकार माना गया है। प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 24 दिनांक 29.03.1996 को ही तस्दीक कर दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर नामान्तरकरण सं. 24 दिनांक 29.03.1996 ग्राम चक अभयपुरा तहसील लालसोट हाल तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा के विरूद्ध अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 20.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा